

To,

06 Aug 2021


The Secretary,  
Union Public Service Commission,  
Dholpur House, Shahjahan Road,  
New Delhi-110069

Subject: MINISTRY OF DEFENCE, ARMED FORCES FILM AND PHOTO DIVISION,  
FILM EDITOR AND ASSISTANT FILM EDITOR GRADE-I (GROUP 'B' POST)  
RECRUITMENT RULES 2021

Sir,

I am directed to refer to your letter No. 100/550/2017-UPSC (RR) dated 22 Jan 2020 and Diary No. 343/550/2018-UPSC (RR) dt 16 Jan 2020 and to forward herewith five copies of the Ministry of Defence, Armed Forces Film and Photo Division, Film Editor and Assistant Film Editor Grade-I recruitment Rules, 2021 as notified in the Gazette.

2. The Ministry of Defence, Armed Forces Film and Photo Division, (Group 'B' post) (Film Editor and Assistant Film Editor Grade-I) Recruitment Rules, 2021 framed and as adopted by the Government have been published in the Gazette on 06 Jul 2021 vide SRO 24 dated 03 Jun 2021.

Yours faithfully,  
  
(T Suresh Kumar)  
Deputy Director

Copy to:-

DOP&T (Estt-RR) - Five Copies (DOP&T RR.No 427 dt 05/3/2019 and RR.No.4888 dt 30/08/2019 through RRFAMS Portal.

AFFPD - 02 copies.

Internal:-

CAO/P-1, CAO/P-2, CAO/R-1, CAO/R-III,  
CAO/CP Cell, CAO/Legal cell,

A copy (for information) to:-

PPS to JS & CAO, PS to Dir (HR), PS to Dir (E&A),  
PA to Dy CAO (P&L), PS to Dy CAO (FM), Dy CAO (Spl Project),  
PA to Dir (DCW & Trg), PA to Dy CAO(A)

CAO/EDP Cell - for uploading on CAO's Website.



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-26072021-228456  
CG-DL-W-26072021-228456

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 11] नई दिल्ली, जुलाई 11—जुलाई 17, 2021, शनिवार/ आषाढ़ 20 — आषाढ़ 26, 1943  
No. 11] NEW DELHI, JULY 11—JULY 17, 2021, SATURDAY/ASHADHA 20 — ASHADHA 26, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2021

का.नि.आ. 22.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा सेवाओं में सिविलियन (समूह 'ग' गैर औद्योगिक पद) भर्ती नियम, 1989 को जहां तक इनका संबंध सिनेमा प्रक्षेपक/आपरेटर-2 और सिनेमा प्रक्षेपक/आपरेटर-1 के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सैन्य इंजीनियरिंग महाविद्यालय, पुणे में सिनेमा प्रक्षेपक-1 और सिनेमा प्रक्षेपक-2 समूह 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सैन्य इंजीनियरिंग महाविद्यालय, पुणे में रक्षा सेवाओं सिविलियन (समूह 'ग' पद) सिनेमा प्रक्षेपक-2 और सिनेमा प्रक्षेपक-1 पद भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ - (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to his next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	
--	--

[F. No.11375/Admin Staff (UDC-LDC)/DGAFMS/DG2B/79/RR/D(A)/2021]  
DEVENDRA KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 जून, 2021

का.नि.आ. 24.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (i) रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल फिल्म और फोटो प्रभाग (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2001, जहाँ तक उनका संबंध सहायक फिल्म संपादक श्रेणी-1 और (ii) रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल फिल्म और फोटो प्रभाग (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2003, जहाँ तक उनका संबंध फिल्म संपादक से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल फिल्म और फोटो प्रभाग में फिल्म संपादक और सहायक फिल्म संपादक श्रेणी-1 के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल फिल्म और फोटो प्रभाग, फिल्म संपादक और सहायक फिल्म संपादक श्रेणी-1 (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2021 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. लागू होना.—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
फिल्म संपादक	02* (2021)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (रु.44900-142400)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।  टिप्पण:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड और संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक अर्हताएं: (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री; और	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	1. 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 2. 50 संयुक्त पद्धति (प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत

